आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती सीमा सिंह, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-05/2021-22

11.3.22

रामचरण पाहन, पिता स्व० लटु पाहन, निवास
ग्राम–हरातु, थाना–टाटीसिलवे, जिला राँची ... प्रथम पक्ष

बनाम

योगेश्वर महतो, पिता करम सिंह महतो,
निवास ग्राम हरातु टाटीसिलवे हाई स्कूल
के पीछे, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची। ... द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रथम पक्ष रामचरण पाहन, पिता स्व० लटु पाहन, निवास ग्राम–हरातु, थाना–टाटीसिलवे, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष योगेश्वर महतो, पिता करम सिंह महतो, निवास ग्राम हरातु टाटीसिलवे हाई स्कूल के पीछे, थाना–टाटीसिलवे, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
हरातु	175	64	42	06 डी.

आवेदक के द्वारा अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे बकब्जे शहदेव पाहन वो लटु पाहन पेशरान शानुआ पाहन कौम मुण्डा के नाम दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्षगण को बेदखल कर दिया है।

कृ०पृ०उ०

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्ति के बाद न्यायालय में उपस्थित हुए। पर्याप्त समय देने के बावजूद उनकी ओर किसी प्रकार का वैध कागजात दाखिल नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के पास प्रश्नगत जमीन से संबंधित कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं है, एवं वे अवैध रूप से दखलकार है।

प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है। द्वितीय पक्ष छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानो का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

अंचल अधिकारी, नामकुम के पत्रांक 113(ii) दिनांक 02.02.2019 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में शहदेव पाहन वो लदु पाहन वगैरह पेशरान शानुआ पाहन कौम मुण्डा साकीन देह के नाम दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के पुत्र है। पंजी II में शहदेव पाहन वो लदु पाहन, मगरू पाहन, जगदेव पाहन, लालदेव पाहन के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष विगत दो वर्षो से कच्चा एसबेस्टस का मकान बनाकर दखलकार है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं। द्वितीय पक्ष ने जमीन कैसे प्राप्त किया यह अस्पष्ट है। द्वितीय पक्ष को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है।

क्र०पृ०उलटे

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्ष को बेदखल करते हुए जपीन प्रथम पक्ष सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 06 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, नामकुम को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्ष सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

11/03/22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

11/03/22
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक — 216(1) दिनांक — 16/12/22

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी नामकुम को दखल देहानी की कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/22
वि०वि०प०
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.12 12:10:30 +05:30
Location: 192.168.51.130